



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04052022-235527
CG-MH-E-04052022-235527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1956]
No. 1956]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 4 मई, 2022

का. आ. 2056(अ).—केंद्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008, की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, आनंद गोधरा दोहरीकरण परियोजना (78.80 कि.मी.) को भूमि अधिग्रहण के हेतु लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु गुजरात राज्य में रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई आफिस – E-291572]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य इंजीनियर (निर्माण) II

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th May, 2022

S.O. 2056(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Anand Godhra (78.80 km) Doubling

Project” as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Gujarat, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. E-Office E-291572]

S. R. PRASAD, Chief Engineer (Construction) II